सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

## पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः— 48 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :—21.02.2025
GCMS ID—2025 / 184

बउनवान

1. रसाल बाई आयु 53 वर्ष पत्नी श्रद्वालाल जाति मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज

प्रार्थीया

बनाम

1. जयसिंह आ० श्री रामकिशन जाति मीणा निवासी टांका की औपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. प्रहलाद आ० श्री बजरंगा जाति मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. बद्री आ० श्री बजरंगा जाति मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. रामसिंह आ० श्री बजरंगा जाति मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. दुर्गालाल आ० श्री बजरंगा जाति मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. श्रद्वालाल आ० श्री बजरंगा जाति मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. शोजी आ० श्री बजरंगा जाति मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. सुन्दर बाई पत्नी श्री बजरंगा जाति मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
9. प्रेमबाई पुत्री श्री बजरंगा पत्नी श्री रामस्वरूप जाति मीणा निवासी जड का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
10. शरमाबाई पुत्री श्री बजरंगा पत्नी श्री सत्यनारायण जाति मीणा निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टॉक
11. बहादुर आ० श्री रामकिशन जाति मीणा निवासी टांका की झीपडिया तहसील हिण्डोली
12. मानसिंह आ० श्री रामकिशन जाति मीणा निवासी टांका की औपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
13. मीरा बाई पुत्री श्री रामकिशन पत्नी श्री रमेश जाति मीणां निवासी उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

14. मोत्या पत्नी श्री रामकिशन जाति मीणा निवासी टांका की झौपड़िया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
15. हरिसिंह आ० श्री रामकिशन जाति मीणा निवासी टांका की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
16. नवलकिशोर आ० श्री दुर्गाप्रसाद जाति खाती निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
17. सत्यनारायण आ० श्री बजरंग लाल जाति खाती निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
18. सीताराम आ० श्री बजरंग लाल जाति खाती निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
19. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम
वकील प्रार्थी :— श्री विजय माहेश्वरी
वकील अप्रार्थी :— एकतरफ।

**आदेश** दिनांक :—19.01.2026

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भवानीपुरा पटवार क्षेत्र भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे खाता स. 219 की कृषि भूमि ज.स. 903 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, ख.स. 904 रकबा 0.3237 हेक्टेयर, अ.स. 910 एकबा 0.5747 हेक्टेयर ख.स. 911 रकबा 0.0488 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.0198 हेक्टेयर विस्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2076—79 में उक्त भूमिया प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमिया प्रार्थीया को स्वामित्व व अधिपत्य की भूमिया है जिन पर प्रार्थीया काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया का उक्त वर्णित भूमियो पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त भूमियो पर प्रार्थीया का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीया की उक्त भूमियो के पूर्वी ओर अप्रार्थी स. 1. अप्रार्थी स. 11 लगायत 15 व बजरंगा पुत्र खेगा के संयुक्त स्वामित्व की भूमि ख.स. 908 विस्थित है। खातेदार बजरंगा पुत्र खेमा की मृत्यु हो चुकी है एंव अप्रार्थी स. 2 लगायत 10 खातेदार बजरंगा के वारिसान है। इसी प्रकार प्रार्थीया की भूमियो के दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी ओर अप्रार्थी स. 16 लगायत 18 के स्वामित्व अधिपत्य भूमिया ख.स. 897, 913, 917 विस्थित है जिन पर अप्रार्थीगण का कब्जा कास्त चला आ रहा है। प्रार्थीया महिला है, इस बात का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण आऐ दिन प्रार्थीया के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमियो की पूर्वी, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी सीमा के संबंध में विवाद करते है और प्रार्थीया की उक्त भूमियों पर हो रही मेडबन्दी को हटा देते है एंव प्रार्थीया द्वारा उक्त बात का उलाहना अप्रार्थीगण को देने पर हमेशा मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौके पर भूमियो की सीमा के संबंध में कभी भी तनाव उत्पन्न हो सकता है. इस कारण प्रार्थीया के स्वामित्व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

व अधिपत्य की चरण स. 1 में वर्णित भूमियो की पत्थरगढी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीया ने अभी नवम्बर 2024 में तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थीया के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमियो की पत्थरगढी किऐ जाने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार हिण्डोली ने प्रार्थीया को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने की बात कही, इस कारण प्रार्थीया न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रार्थीया पत्थरगढी की खर्चा राशि वहन करने को तैयार है। अप्रार्थी स. 19 भूमिधारी होने एंव आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम भवानीपुरा पटवार क्षेत्र भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे खाता स. 219 की कृषि भूमि ख.स. 903 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, ख.स. 904 रकबा 0.3237 हेक्टेयर, ख.स. 910 रकबा 0.5747 हेक्टेयर, ख.स. 911 रकबा 0.0486 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.0198 हेक्टेयर भूमियो के पूर्वी, दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी ओर की पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 18 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने से जबाव बन्द किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 19 सरकार ने नियमानुसार राशि जमा कर आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।**

अभिभाषक प्रार्थीया को सुना गया। बहस वकील प्रार्थीया मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम भवानीपुरा पटवार मण्डल भवानीपुरा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 219 के अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीया वादग्रस्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

## —: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 219 के खसरा संख्या 903, 904, 910, 911 कुल किता 4 कुल रकबा 1.0198 हैक्टैयर वाके ग्राम भवनीपुरा पटवार मण्डल भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीया से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीया व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/01/2026
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446